न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/615

किशन लाल पुत्र आनन्दी लाल जाति गुर्जर निवासी गोदल्याहेडी हाल निवासी शिवपुरा कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मोहन सिंह सोलंकी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 09.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं धारा 209 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में साबिक खसरा नम्बर 58 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता आनन्दी लाल पुत्र लाल के खाते में दर्ज थी। उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित विभाजन की डिक्री दिनांक 28.08.1971 से वादी को खसरा नम्बर 58 में से 16 बीघा 05 बिस्वा एवं नारायण प्रसाद भाई का 16 बीघा 05 बिस्वा प्राप्त हुई थी । उक्त डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 53 दिनांक 23.09.1971 से 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादी के नाम एवं खसरा नम्बर 505/508 की 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि उनके भाई नारायण प्रसाद के खाते दर्ज की गई । वादी उक्त विभाजन में प्राप्त भूमि पर काबिज काश्त है । भू–प्रबन्ध विभाग ने दौराने सेटलमेंट वादी के खरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 63 रकबा 2.13 हैक्टर एवं नारायण प्रसाद

के खसरा नम्बर 505/58 का खसरा नम्बर 62 रकबा 2.80 हैक्टर कायम किया गया । सेटलमेंट विभाग ने वादी के रकबे को 2.64 हैक्टरा के बजाय 2.13 हैक्टर कायम किया जो 0.51 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई है । खसरा नम्बर 62 का रकबा 2.80 हैक्टर दर्ज करके 0.16 हैक्टर अधिक दर्ज किया गया है । रकबा दुरूस्ती बाबत् उपखण्ड अधिकारी कोटा में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 62 रकबा 2.80 हैक्टर में से 0.33 हैक्टर भूमि नारायण के खाते से कम करके वादी के खसरा नम्बर 63 रकबा 2.13 हैक्टर में जोडते हुए रकबा 2.46 हैक्टर दुरूस्ती करने का आदेश पारित किया था । उक्त निर्णय की कियान्विति आज तक नहीं हई है जिसकी कियान्विति कराने का वादी का अधिकार है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी के खाते की आराजी साबिक खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा के कायम किये गये वर्तमान खसरा नम्बर 63 का रकबा 2.13 हैक्टर स्थानर पर 2.64 हैक्टर कायम किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे । साबिक खसरा नम्बर 58 की आराजी का हैक्टर प्रणाली में की रकबा 0.18 हैक्टर को जिस नये खसरा नम्बर में शामिल किया गया है उस नये खसरा नम्बर में से कम किया जाकर वर्तमान खसरा नम्बर 63 के रकबे में कमी पूर्ति की जाकर खसरा नम्बर 63 का रकबा 2.64 हैक्टर किया जावे तद्नुसार नक्शा ट्रेस में भी वर्तमान खसरा नम्बर 63 में संशोधित रकबा 2.64 हैक्टर के अनुसार संशोधन किया जावे । भू–प्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बर 52 का नया खसरा नम्बर 60 गलत कायम किया है जिसे नक्शा ट्रेस में नया खसरा नम्बर 62 व 63 के दक्षिण में वादी एवं नारायण प्रसाद की आराजी के लगवा दर्शाकर खसरा नम्बर 60 गै0मु0 रास्ता में खसरा नम्बर 58 व 505/58 की आराजी को शामिल कर दिया है जबकि नक्शा ट्रेस गत खरा नम्बर 52 गैरमु0 रास्ता के उत्तर में गत खसरा नम्बर 53 व 55 हैं । गत खरा नम्बर 52 के नये खसरा नम्बर 55 व 59 खसरा नम्बर 60 एवं खसरा नम्बर 61 सेटलमेंट ने कायम किया है । गत खसरा नम्बर 52 के नक्शा ट्रेस के अनुरूप नये खसरा नम्बर 59, 60 व 61 कायम नहीं किये गये हैं । नया खसरा नम्बर 60 गै0मु0 रास्ता गत खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा का भाग है । वादी को निर्णय दिनांक 07.11.2012 से 0.33 हैक्टर की कमी पूर्ति की गई है उक्त निर्णय से खसरा नम्बर 63 का रकबा 2.46 हैक्टर हुआ जबकि रकबा 2.64 होना चाहिए । वादी 0.18 हैक्टर आराजी प्राप्त कर खसरा नम्बर 63 में रकबा 2.64 हैक्टर भूमि दर्ज कराने का अधिकारी है ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपीलान्ट के वाद का प्रतिवादी ने कोई खण्डन नहीं किया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी की पैमाईश एवं सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार लाडपुरा को कमीश्नर नियुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ताकि न्यायालय के समक्ष मौके की स्थिति स्पष्ट हो सके । सेटलमेंट विभाग का अपीलान्ट के खातेदारी की भूमि को बिना अधिग्रहण के रास्ते में शामिल करने का कृत्य संविधान एवं विधि– विरूद्ध है । सेटलमेंट विभाग को खातेदार की भूमि के रकबा में परिवर्तन करने व अन्य खसरा नम्बर में मिलाने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट गत खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार कृषक है । यह आराजी विभाजन की डिक्री से प्राप्त हुई थी । विभाजन की डिक्री से नामान्तरकरण संख्या 53 खोला गया था जिसके अनुसार वादी अपीलान्ट के खाते में खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा आराजी नारायण के खाते में खसरा नम्बर 505/58 रकाब 16 बीघा 05 बिस्वा आराजी की गई थी । भू–प्रबन्ध विभाग ने सेटलमेंट के उपरान्त वादी के खाते की आराजी का नया खसरा नम्बर 63 रकबा 2.13 हैक्टर करायम किया गया और नारायण की आराजी का नया खसरा नम्बर 62 रकबा 2.80 हैक्टर कायम किया गया । 16 बीघा 05 बिस्वा का रकबा 2.64 हैक्टर बनता है । इस आधार पर अपीलान्ट के खाते में 0.51 हैक्टर आराजी कम दर्ज की गई है जिसको दुरूस्त करवाने का वादी अधिकारी है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश नहीं किया गया । प्रतिवादी द्वारा वादी के दावे का खण्डन नहीं किया गया इसके बावजूद दावा खारिज किया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित करना चाहिए था । खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा का कुछ रकबा नया खसरा नम्बर 60 में शामिल कर दिया गया । अपीलान्ट के खाते में रकबा कम दर्ज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि अपीलान्ट का रकबा कम हुआ है । वह कौनसे रकबे में शामिल हुआ है यह जॉच करने का उत्तरदायित्व तहसीलदार है जिसको कमीश्नर नियुक्त करने का आवेदन किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कमीश्नर नियुक्त नहीं करके विधि– विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । पैमाईश रिपोर्ट के उपरान्त ही यह तय किया जा सकता है कि अपीलान्ट के खाते में जो रकबा कम दर्ज किया गया है वह कौन से खाते में दर्ज किया गया है । प्रदर्श– 9 निर्णय दिनांक 07.11.2012 के अनुसार अपीलान्ट के खाते में 0.33 हैक्टर आराजी नारायण के खाते से दर्ज करने के आदेश हुए हैं परन्तु अभी तक राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन नहीं किया गया है । निर्णय दिनांक 07.11.2012 के अनुसार रकबा 2.46 हैक्टर करने के बावजूद 0.18 हैक्टर कम रह जाता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2016 (1) आरआरटी पेज 374 उद्धरत किया ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी ने यह सिद्ध नहीं किया है कि वादी के खाते की आराजी कम करके किसके खाते में दर्ज की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 14.11.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया था और यह कथन किया गया था कि दिनांक 07.11.2012 के निर्णय के अनुसार वादी के खाते की आराजी का रकबा 2.46 हैक्टर किया गया है फिर भी 0.18 हैक्टर का रकबा कम है । अतः रकबे की पूर्ति की जावे । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2016 से 2031 प्रदर्श– 1 के अनुसार आनन्दी लाल के खाते में खसरा नम्बर 58 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा भूमि के अलावा अन्य खसरा नम्बरान की कुल 06 किता की 70 बीघा 11 बिस्वा आराजी दर्ज है, नकल नामान्तरकरण पंजिका प्रदर्श– 2, नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 प्रदर्श– 3 के अनुसार किशन लाल पुत्र आनन्दी लाल के खाते में खसरा नम्बर 58 की 16 बीघा 05 बिस्वा आराजी दर्ज है, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 4 है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 5 के अनुसार खसरा नम्बर 58 का हाल खसरा नम्बर 63 रकबा 2.13 हैक्टर और खसरा नम्बर 505/58 का हाल खसरा नम्बर 62 रकबा 2.80 हैक्टर कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 नया खाता संख्या 26 प्रदर्श– 6 पेश किया है जिसके अनुसार वादी के खाते में हाल खसरा नम्बर 63 की 2.13 हैक्टर भूमि दर्ज है, नकल जमाबन्दी संवत् 2067–70 प्रदर्श– 07 के अनुसार नया खाता संख्या 104 में खसरा नम्बर 62 रकबा 2.80 हैक्टर भूमि नारायण के खाते में दर्ज है, नकल जमाबन्दी संवत् 2063–66 प्रदर्श– 8 के अनुसार सरकार के खाते में खसरा नम्बर 60 की रकबा 0.16 हैक्टर आराजी (पगडंडिया रास्ते) दर्ज है । न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2012 प्रदर्श– 9, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 10, नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श– 11, भारतीय डाक विभाग की रसदी प्रदर्श– 12 पेश किये गये हैं ।

10. वादी के द्वारा अपने दावे में यह कथन किया है कि गत खसरा नम्बर 52 का नया खसरा नम्बर 60 कायम किया है जिसे नक्शा ट्रेस में 62 और 63 की 05 बिस्वा पर गै0मु0 रास्ते के रूप में बताया गया है इसमें खसरा नम्बर 58 व 505/58 की आराजी को शामिल किया गया है परन्तु अपने इस कथन को सिद्ध करने के लिए साबिक खसरा नम्बर 52 की नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि उसके हाल खसरा नम्बर 60 बने हैं एवं रकबे का भी मिलान किया जा सके कि साबिक खसरा नम्बर 52 का रकबा हाल खसरा नम्बर से कम था अथवा नहीं । साबिक और खसरा नम्बरान को दर्शाते हुए जो नक्शा पेश किया है उसमें साबिक खसरा नम्बर 58 के नीचे खसरा नम्बर 111 अंकित किया गया है इसके नीचे खसरा नम्बर 52 दर्ज नहीं है वरन् खसरा नम्बर 52 खसरा नम्बर 55 और 53 के नीचे रास्ते की शक्ल में विद्यमान है । नजरी नक्शों का मिलान करने पर यह प्रतीत होता है कि साबिक खसरा नम्बर 58 के हाल खसरा नम्बर 62 और 63 बने हैं और साबिक खसरा नम्बर 58 के नीचे भी खसरा नम्बर 111 के रूप में रास्ता दर्ज था । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी का यह कथन कि उसके खाते की आराजी को खसरा नम्बर 60 में शामिल कर दिया गया है को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है ।

11. वादी अपीलान्ट के विद्धान् अभिभाषक ने यह कथन किया है कि वादी द्वारा तहसीलदार से मौका की पैमाईश रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रार्थना पत्र संलग्न नहीं है और न ही अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में उनके इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है । वादी अपीलान्ट के पक्ष में एक निर्णय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा पारित दिनांक 07.11.2012 अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का संलग्न है जिसके अनुसार भी रिकॉर्ड में दुरूस्ती नहीं हुई है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर वादी अपीलान्ट उक्त वाद को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 09.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/615

किशन लाल पुत्र आनन्दी लाल जाति गुर्जर निवासी गोदल्याहेडी हाल निवासी शिवपुरा कोटा ।
——**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 200/दावा/2014

किशन लाल पुत्र आनन्दी लाल जाति गुर्जर निवासी गोदल्याहेडी हाल निवासी शिवपुरा कोटा ।
——वादी.

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 09.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मोहन सिंह सोलंकी एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 09.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

9/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा